दां.प्र.क्र.–1485/22
शासन विरूद्ध बृजेश खटिक वगैरह

गवाह नंबर 01 की अभियोजन साक्ष्य तरफ से शहादत आज **तारीख 09.07.2025** को ली गई। गवाह करीब **18** वर्ष की उम्र का मालूम होता है। हलफ से जबाब करता है। मेरा **नाम–मुकेश पिता–सुरेश, पेशा–विद्यार्थी, निवासी–ग्राम–पकरिया, थाना–गौरेला, जिला–गौ.पे.म.(छ०ग०)**

प्रारंभ समयः– 16.24 बजे ।

टीपः– साक्षी को शपथ दिलाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

मुख्य परीक्षण द्वारा कु० सुचिता सिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी

01– साक्षी से पूछे जाने पर न्यायालय उपस्थित आरोपी आसीफ को पहचानता है एवं अनुपस्थित आरोपी बृजेश सोनकर की गिरफ्तारी पत्रक में चसपा फोटो दिखाये जाने पर पहचानना बताया ।

02– घटना लगभग 02 साल पूर्व की है । घटना दिनांक को मैं अपने स्कूल से घर जा रहा था तभी आरोपीगण मेरे वैन के पास आकर बातचीत के बहाने मुझे वैन से उतारकर वैन के सामने तरफ ले गये थे और मेरे से बातचीत ना कर मेरे साथ मारपीट किये थे । आरोपीगण के द्वारा मारपीट किसी चाकू जैसे हथियार से किया गया था । जिससे मेरे सिर पर चोंट आई थी । उक्त चोंट के कारण मुझे सिर पर चार–पांच टांका लगे थे ।

03– घटना के तुरंत बाद थाना गौरेला गया था । थाना में मैंने आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया था । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–01 है और नजरी नक्शा प्रपी–02 है । जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिस वालो ने पूछताछ कर मेरा बयान लेखबद्ध किया था ।

नोट– इसी स्तर पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने धारा–154 साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचक जैसे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही। प्रकरण के अवलोकन उपरांत सूचक जैसे प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई।

04– यह कहना सही है कि घटना दिनांक को आरोपीगण मेरे पास आकर मुझे बोले कि तुम बहुत होशियार करते हो तेरी होशियारी निकालता हूं बोलकर मुझे जान सहित मार देंगे धमकी दे रहे थे और मां–बहन की गंदी गंदी गाली गलौच दे रहे थे । यह कहना सही है कि आरोपीगण के द्वारा मेरे साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया गया था ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुधीर श्रीवास अधिवक्ता, वास्ते–अभियुक्तगण

05– यह कहना सही है कि मैं न्यायालय में आज जो बात बता रहा हूं वही बात पुलिस वालों को बताया है । नर्मदा स्कूल ज्योतिपुर चौक के पास स्थित है । नर्मदा स्कूल से मेरी

छुट्टी 2.30 बजे हुई थी । छुट्टी के 20 मिनट बाद वैन से मैं घर के लिए निकल गया था । यह कहना गलत है कि पकरिया चले गये थे । ऑटो स्टैण्ड पहुंचने के 05 मिनट बाद आरोपीगण वहां आये ।

06– मैं आरोपीगण को घटना दिनांक से ही जानता हूं । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि किस बात को लेकर आरोपीगण ने मुझसे विवाद किया । मैं घटना के दिन का तारीख नहीं बता सकता । यह कहना सही है कि जैन मंदिर के पास कई ऑटो खड़ी रहती है तथा वहां भीड़भाड़ रहता है । यह कहना सही है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना होती तो आसपास के लोग बीच बचाव करते ।

07– यह कहना गलत है कि आरोपीगण मेरे साथ कोई मारपीट नहीं किये है किसी अन्य के कहने पर मैंने उनके विरूद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया है । यह कहना गलत है कि पुलिस वालें रिपोर्ट दर्ज कराया उस दिन ही पूछताछ किये थे उसके पश्चात कोई पूछताछ नहीं किये । यह कहना गलत है कि पुलिस वाले नजरी नक्शा थाने में बैठकर बनाये थे । यह कहना सही है कि जैन मंदिर के पास हमेशा आता जाता हूं । यह कहना सही है कि जैन मंदिर और फारेस्ट कॉलोनी के मध्य आधा किलोमीटर की दूरी है ।

08– यह कहना सही है कि फारेस्ट कॉलोनी और जैन मंदिर के अगल बगल कई लोगों का रिहायशी मकान है ।

समाप्त समय–16.35 बजे ।

वाचित /स्वीकृत

KU. SEEMA JAGDALLA
Digitally signed by KU. SEEMA JAGDALLA
Date: 2025.07.10 17:19:44 +0530

(कु. सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पेण्ड्रारोड (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

KU. SEEMA JAGDALLA
Digitally signed by KU. SEEMA JAGDALLA
Date: 2025.07.10 17:19:53 +0530

(कु. सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेण्ड्रारोड (छ.ग.)